विकास गिरी आदि बनाम मदन मोहन सोनी

सी.आई.एस. नम्बर 320/2025

11.08.2026

उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। इस प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आदेशिका पर निस्तारित किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने दिनांक 18.04.2024 को देवस्थान विभाग, बीकानेर से जूनामठ ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाने तथा दिनांक 19.11.2024 को तीन ट्रस्टी जोड़ने का उल्लेख करते हुए रूपेश आहुजा को ट्रस्ट की ओर से कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत करना बताया है। इसी अनुसार सिविल वाद संख्या 530/2012 मदन मोहन बनाम विकास गिरी में प्रार्थी ट्रस्ट की सही तामील नहीं करवाने तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर समाचार पत्र में समन को प्रकाशित करवाने के बाद दिनांक 18.07.2025 को निर्णय व डिक्री पारित करवाने का भी उल्लेख किया है। प्रार्थीगण ने मूल वाद में पक्षकार बनाने के बाद दिनांक 13.02.2025 को तामील हेतु जारी समन की रिपोर्ट से अप्रार्थी दिनेश कुमार का उसे सहयोग नहीं करना तथा जूनामठ में मोहन रतन गिरी के बैठने का स्थान नहीं बताने का उल्लेख करते हुए दोनों समनों की रिपोर्ट में हाजिर नहीं मिलने की रिपोर्ट करना बताया है।

वादी दिनेश कुमार का प्रतिवादीगण पर जानबूझकर तामील नहीं करवाना समनों की रिपोर्ट से जाहिर होना तथा दिनांक 19.02.2025 को न्यायालय का वादी को अपनी निशानदेही से तामील करवाने के लिए आदेश देने पर भी उसका पालन नहीं करना प्रार्थना पत्र में प्रकट किया है। ऐसा दिनांक 19.02.2025 के समन पर प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट से स्पष्ट होना तथा बाबूलाल शर्मा के हस्ताक्षर होने को भी संदिग्ध बताकर न्यायालय आदेश की पालना में प्रतिवादीगण पर जानबूझकर वादी का तामील नहीं करवाना बताया गया है। इसके बाद वादी दिनेश कुमार का प्रतिवादीगण की तामील को दैनिक समाचार पत्र से प्रकाशित करवाने का दिनांक 01.03.2025 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना तथा समन से तामील करवाने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करने पर भी प्रतिस्थापित तामील का आदेश लेना प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है। इसी कारण प्रतिवादीगण की तामील के लिए आदेश 5 नियम 17, 18, 19 व 20 में वर्णित प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन नहीं करने तथा दो बार जारी समनों पर तामील से बचने अथवा जानबूझकर निवास स्थान पर नहीं मिलने के अलावा तामील करवाना असम्भव होने की रिपोर्ट का भी अभाव बताया है।

इसके अलावा न्यायालय का आदेश 5 नियम 20(1) सी.पी.सी. के अनुसार तामील से बचने अथवा सामान्य तरीके से कार्यवाही नहीं होने की सन्तुष्टि को दर्ज करने पर ही समाचार पत्र में प्रतिस्थापित तामील का आदेश देना प्रार्थी ने आवश्यक बताया है तथा दिनांक 01.03.2025 के आदेश में अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने से भी निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर देने हेतु निवेदन किया है। इसी क्रम में वादी मदन मोहन की अपील में माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 04.04.1989 को निर्णय होने का उल्लेख करते हुए जूनामठ ट्रस्ट के पक्षकार होने की उसे प्रारम्भ से जानकारी रहने पर भी जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाने का आधार लेकर भी आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर सुनवाई का अवसर देने से न्याय करने में सुविधा होने का उल्लेख किया है। वादी दिनेश कुमार की मौके पर खरीदी हुई भूमि नहीं होने से वाद पत्र में उसका विवरण नहीं देने तथा बेचने के बाद शेष सम्पत्ति को छिपाने के उद्देश्य से पक्षकार बनाने पर भी प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाने का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है। इन्हीं आधारों पर मूल वाद संख्या 530/2012 मदन मोहन बनाम विकास गिरी में दिनांक 19.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश अपास्त करते हुए सुनवाई का अवसर देने तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है। प्रार्थी ने धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी उपरोक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किया है तथा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी/वादी ने जवाब देकर जूनामठ ट्रस्ट के महन्त श्री रतन गिरी बर्फानी को वाद से सम्बन्धित समन भेजने की दिनांक 28.02.2025 को जानकारी होना तथा तामील के नियमों को अनदेखा करके प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाने की नियत से प्रोसेस सर्वर का गलत रिपोर्ट देना बताया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अप्रार्थी/वादी ने गलत तरीके से प्रतिवादीगण की तामील कराने के तथ्य को निराधार बताया है तथा अपनी ओर से बाबूलाल शर्मा को तामिल कुनिन्दा का सहयोग करने भेजने पर उसका ट्रस्ट परिसर के अन्दर महन्त जी के बैठने वाले स्थान पर जाने का भी अपने जवाब में उल्लेख किया है। वहां पर महन्त रतन गिरी जी का मिलना तथा उनके महन्त होने से इन्कार करने का उल्लेख करते हुए समन की पुश्त पर बाबूलाल शर्मा के हस्ताक्षर होना भी अप्रार्थी/वादी ने बताया है तथा प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी होने पर भी तामील नहीं लेने से अखबार में समन का प्रकाशन करवाने का उल्लेख किया है। इसी अनुसार तामील कुनिन्दा का समन पर जानबूझकर गलत रिपोर्ट करने तथा ट्रस्ट परिसर में महन्त जी के अपने बैठने वाले स्थान पर मौजूद रहने की उसको जानकारी देने पर भी तामील नहीं करवाने से अखबार में समन के प्रकाशन का न्यायालय से आदेश होना भी जवाब में बताया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को न्यायालय से समन जारी होने की दिनांक 28.02.2025 को जानकारी मिलना तथा उसके बाद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश देकर वाद को दिनांक 18.07.2025 के निर्णय व डिक्री

से तय करने का उल्लेख करते हुए अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने योग्य बताया है।

इस जवाब के समर्थन में अप्रार्थी/वादी दिनेश कुमार ने शपथ पत्र दिया है तथा बाबूलाल शर्मा ने भी शपथ पत्र देकर उल्लेख किया है कि दिनांक 28.02.2025 को तामील कुनिन्दा के साथ जूनामठ जाने पर एक कमरे में महन्त रतन गिरी जी मिले थे और तामील कुनिन्दा को उनके बारे में बताने के बाद समन की पुश्त पर हस्ताक्षर करवाकर उसे बाहर भेज दिया था लेकिन उसके सामने रिपोर्ट नहीं की थी।

उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने इस प्रकरण में प्रतिवादीगण के समन को अखबार में प्रकाशित करवाने से पूर्व आदेश 5 नियम 17, 19 व 20 सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं होना तर्क देकर बताया है तथा इसी कारण से एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता होना भी स्पष्ट किया है। इन तर्कों के अनुसार ही G.C. Cones and Tube Manufacturing Co. Vs Shri Nursingh Paper and Oil Mill Pvt. Ltd. 2014(3) WLN 466, Harbhajan Singh and another Vs L.Rs. Of Gardhara Singh 2010 AIR (Raj.) 170, Manuel Vs The State of Tamil Nadu (2007) 4 MLJ 218 व Rai Prem Chandra and Ors. Vs Obeetee Pvt. Ltd. (1991) 1 AllWC 238 में प्रतिस्थापित तामील का आदेश देने से पूर्व आदेश 5 नियम 17, 19 व 20 सी.पी.सी. की अनिवार्य पालना करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बताया है।

इन तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने न्यायालय का उचित प्रक्रिया से समन जारी करना तथा निशानदेही से तामील करवाने का आदेश देने पर प्रतिवादी ट्रस्ट के परिसर में बाबूलाल शर्मा का तामिल कुनिन्दा को लेकर जाना बताया है। वहां पर महन्त रतन गिरी जी को बाबूलाल का उनके बैठने वाले कमरे में दिखाना तथा तामील कुनिन्दा का समन की पुश्त पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उसे भेजकर गलत रिपोर्ट देना भी अपने तर्कों में अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने बताया है। इसी आशय का बाबूलाल के शपथ पत्र देने से भी महन्त रतन गिरी जी पर समन को तामील करवाने की पुष्टि होना तथा जानबूझकर उपस्थित नहीं होने के अलावा दिनांक 28.02.2025 से ही वाद पत्र में कार्यवाही चलने की उनको जानकारी रहने का भी उल्लेख किया है।

उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने तथा सन्दर्भित न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद न्यायालय को इस बिन्दु का विवेचन करना है कि– ''क्या प्रतिवादीगण को उचित प्रक्रिया अपनाकर समन जारी किए गए थे अथवा नहीं एवं न्यायालय में उनके अनुपस्थित रहने के उचित कारण होने से एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश अपास्त करने योग्य है?''

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय से जारी समन की तामील नहीं होने पर अप्रार्थी/वादी को निशानदेही से तामील कराने का निर्देश देने पर भी उसकी पालना नहीं करना तथा अखबार में समन के प्रकाशन से प्रतिस्थापित तामील का गलत आधारों पर आदेश जारी होने का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही करके मूल वाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 को अपास्त करने योग्य बताया है। इसके लिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने आदेश 5 नियम 17, 18, 19 व 20 की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने से प्रतिस्थापित तामील के आदेश को अनुचित बताया है तथा दिनांक 13.02.2025 व 19.02.2025 के समनों की रिपोर्ट का भी प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है।

इसके विपरीत अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब देकर अपने परिचित बाबूलाल शर्मा का तामील कुनिन्दा को ट्रस्ट परिसर में ले जाना तथा वहां पर महन्त रतन गिरी जी के अपने कमरे में मिलने पर भी उनको समन नहीं देकर तामील कुनिन्दा का गलत रिपोर्ट करना बताया है। इन तथ्यों के समर्थन में बाबूलाल शर्मा ने शपथ पत्र दिया है तथा ट्रस्ट परिसर में तामील कुनिन्दा को ले जाने पर महन्त रतन गिरी जी का अपने नियमित बैठने वाले स्थान पर मिलने का उल्लेख करते हुए समन पर अपने हस्ताक्षर करवाने के बाद तामील कुनिन्दा का उसे बाहर भेजना भी स्पष्ट किया है।

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने तामील के लिए जारी समनों की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने एवं अप्रार्थी/वादी का जानबूझकर उनकी प्रतिस्थापित तामील का न्यायालय से आदेश लेने को मुख्य आधार बनाया है। इसी अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश देकर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 को अपास्त करने योग्य बताया है। यहां पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण से पहले विकास गिरी का मूल वाद में पक्षकार रहने के बाद महन्त नहीं रहने का दिनांक 08.07.2024 को प्रार्थना पत्र देना तथा उसके बाद अप्रार्थी/वादी की ओर से दिनांक 26.09.2024 को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र देना निर्विवाद है।

इसी परिप्रेक्ष्य में वाद पत्र की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर ही प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की प्रतिस्थापित तामील को अखबार में प्रकाशित करवाने की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। **प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को विकास गिरी के महन्त नहीं रहने का प्रार्थना पत्र देने पर आदेशिका दिनांक 05.02.2025 से पक्षकार संयोजित करना स्पष्ट है एवं दिनांक 12.02.2025 को पहली बार जारी तामील पर प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं मिलने की तामील कुनिन्दा का रिपोर्ट देना आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है। इसके बाद दिनांक 19.02.2025 को अप्रार्थी/वादी की निशानदेही से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील करवाने का आदेश देने पर अपने परिचित बाबूलाल शर्मा को तामिल कुनिन्दा के साथ भेजने तथा ट्रस्ट परिसर में**

महन्त रतन गिरी जी के मिलने पर तामील कुनिन्दा का उसे वापस भेजना भी बताया गया है।

यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की प्रतिस्थापित तामील के लिए अखबार में समन प्रकाशित करवाने का दिनांक 01.03.2025 की आदेशिका से आदेश दिया गया है एवं उसमें पत्रावली का परिशीलन करने के बाद दो बार जारी समनों का प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नहीं मिलने पर अदम तामील लौटने की परिस्थितियों से प्रतिस्थापित तामील करवाना आवश्यक होने का भी उल्लेख है। इस प्रकार न्यायालय का आदेश 5 नियम 17, 18, 19 व 20 की अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रतिस्थापित तामील से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी का आदेश देना स्पष्ट होता है। इसके अलावा अप्रार्थी/वादी ने वाद वर्णित भूमि को तत्कालीन महन्त लाल गिरी चेला महन्त नारायण गिरी से खरीदने पर दिनांक 31.05.1968 को विक्रय पत्र का पंजीयन होना बताया था। उसके बावजूद प्रतिवादी मठ का महन्त होने से विकास गिरी का अपनी खरीदी हुई भूमि पर अवैध कब्जा करने तथा निर्माण करने के कारण उसकी बेदखली का मुख्य अनुतोष मांगकर कब्जा दिलाने हेतु वाद पत्र दायर किया था परन्तु विचारण चलते हुए विकास गिरी ने महन्त नहीं रहने से पक्षकार हटाने का प्रार्थना पत्र दिया था। इसी क्रम में अप्रार्थी/वादी के प्रार्थीगण को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र देने पर उन्हें प्रतिवादी संयोजित करते हुए तामील जारी की गई थी एवं वाद पत्र की कार्यवाही चलने का विकास गिरी के बाद महन्त बनने से रतन गिरी को जानकारी मिलना भी स्वाभाविक कहा जा सकता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के सुसंगत प्रावधानों को देखने पर प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की उचित तरीके से तामील नहीं होने अथवा उनकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) होने पर ही एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की स्थिति होती है। इन्हीं कारणों से आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का द्वितीय परन्तुक भी प्रासंगिक हो जाता है एवं उसका शीघ्र निर्देश के लिए उल्लेख किया जा रहा है:–

> 13. Setting aside decree ex–parte against defendant.– In any case in which a ..... proceeding with the suit:
>
> Provided that ..... defendants also:
>
> **Provided further that no Court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons, if it is satisfied that the defendant had**

notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim.

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने समन की तामील करवाने के लिए आदेश 5 नियम 17, 18, 19 व 20 सी.पी.सी. की प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने योग्य बताकर प्रतिस्थापित तामील को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की जानकारी नहीं होना बताया है। इसके लिए आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के द्वितीय परन्तुक में वर्णित प्रावधान से स्पष्ट किया गया है कि किसी एकपक्षीय डिक्री को समन की तामील में अनियमितता होने के आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय से समन जारी होने की जानकारी नहीं मिलने तथा इसी कारण से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपना पर्याप्त कारण बताना भी आवश्यक था परन्तु प्रार्थना पत्र में सेल अमीन के मौके पर आकर दिनांक 08.10.2025 को कब्जा दिलाने की कार्यवाही करने पर डिक्री दिनांक 18.07.2025 की जानकारी होने का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को ट्रस्ट का महन्त हटने के बाद विकास गिरी की ओर से वाद पत्र में प्रार्थना पत्र देने एवं उनके स्थान पर पक्षकार बनाने का पता चलना स्वाभाविक था परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रार्थना पत्र में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि विकास गिरी ने उन्हें न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर पक्षकार हटाने की कार्यवाही करने की जानकारी नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय से जारी समन की ट्रस्ट परिसर में जाकर तामील करवाने का प्रयास होने पर उनको वाद पत्र की कार्यवाही का पता चलना प्रकट होता है एवं अप्रार्थी/वादी के परिचित बाबूलाल शर्मा ने इसी आशय का शपथ पत्र देकर महन्त रतन गिरी जी का अपने बैठने वाले स्थान पर तामील कुनिन्दा को मिलना स्पष्ट किया है।

इन तथ्यों से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को न्यायालय से जारी समनों की तामील के लिए ट्रस्ट परिसर में जाने पर जानकारी मिलने का निष्कर्ष लेना उचित है तथा प्रतिस्थापित तामील के जरिये अखबार में समन को प्रकाशित करवाने से पहले वाद पत्र की उनको जानकारी होना भी पूर्वोक्त विवेचन से प्रकट होता है। इस कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय से जारी समनों की उचित तरीके से तामील नहीं होना तथा अखबार में समन को प्रकाशित करवाने के बाद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण भी उनकी ओर से सिद्ध नहीं कर पाना ही प्रकट होता है। इन्हीं आधारों पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की प्रतिस्थापित तामील का आदेश देने से पहले अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने के सम्बन्ध में उनके अधिवक्ता द्वारा सन्दर्भित न्यायिक दृष्टान्तों को इस प्रकरण पर लागू करने वाले उचित आधारों का अभाव है क्योंकि समन की तामील में अनियमितता होने के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को

अपास्त नहीं करने का आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के द्वितीय परन्तुक में स्पष्ट प्रावधान है।

पूर्वोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को ट्रस्ट के पूर्व महन्त विकास गिरी ने वाद पत्र में पक्षकार हटाने का प्रार्थना पत्र देने की जानकारी दी थी एवं उसके स्थान पर पक्षकार बनाने की भी प्रतिवादीगण को जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में उन्होंने उपस्थित होने का सदभावी प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार न्यायालय से जारी समनों की ट्रस्ट परिसर में जाकर तामील करवाने का प्रयास होने की भी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जानकारी मिलना सम्पूर्ण विवेचन से माना जा सकता है एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों को उनके न्यायालय में नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण मानना भी सम्भव नहीं है।

इन्हीं बिन्दुओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है एवं Parimal Vs Veena @ Bharti (2011) 3 SCC 545 में आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के द्वितीय परन्तुक का विस्तार से विवेचन करते हुए निम्न सिद्धान्त को प्रतिपादित किया हैः– **An ex–parte decree against a defendant has to be set aside if the party satisfies the court that summons has not been duly served or he was prevented by sufficient cause from appearing when the suit was cold on for hearing. However the court shall not set aside the said decree on mere irregularity in the service of summons or in a case where the defendant had notice of the date and sufficient time to appear in the court.**

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने G.P. Shrivastav Vs R.K. Raijada (2000) 3 SCC 54 व Subodh Kumar Vs Shamim Ahmed (2019) 8 SCC 644 में प्रार्थी के नियन्त्रण से बाहर की परिस्थितियों अथवा उसकी लापरवाही या सदभाव का अभाव होने पर अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण मानना प्रतिपादित किया है। साथ ही वाद पत्र के गुण दोष एवं अभिवचनों से सम्बन्धित तर्कों को उठाने पर आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत उनकी जांच का दायरा नहीं होना भी Parimal Vs Veena @ Bharti में तय किया है। ऐसा ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने New Bank of India Vs M/s Marvels (India) 2001 Supreme (Del) 634 में भी तय करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि ''The central legal point established is that 'sufficient cause' for setting aside an ex–parte decree requires the party to demonstrate diligence and bonafide conduct in pursuing the case.''

इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Sunil Poddar & Ors. Vs Union Bank of India 2008 (2) SCC 326 में विचारण न्यायालय का आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित मानते हुए पैरा संख्या 20 व 21 में यह अभिनिर्धारित किया है किः– If the court is convinced that the defendant had otherwise knowledge of the proceedings and he could have appeared and answered the plaintiff's claim, he cannot put forward a ground of non service of summons for setting aside ex–parte decree passed against him.

इसी आशय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Bharat Petroleum Corporation Ltd. & Anr. Vs N.R. Vairamani & Anr. 2004 AIR (SC) 4778 में स्पष्ट किया है तथा यह अभिनिर्धारित किया है कि ''**Sufficient cause'' must be reasonable and based on facts that justify the absence of the party and the party seeking to set aside an ex–parte decree must show that the cause was unavoidable and that their failure to appear was not due to negligence or indifference**.

पूर्वोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि को इस प्रकरण में लागू करने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी के लिए जारी समनों का उनको ज्ञान होना तथा प्रतिस्थापित तामील से अखबार में समन प्रकाशित करवाने के बाद भी जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर न्यायालय का वाद पत्र को दिनांक 18.07.2025 के एकपक्षीय निर्णय व डिक्री से निस्तारित करना प्रकट होता है। इन्हीं निष्कर्षों से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने वाले पर्याप्त कारण एवं आधारों का अभाव होने पर उसे अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्ण कांत)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–चार, बीकानेर